

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 2 जनवरी 2018—पौष 12, शक 1939

लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2018

क्र. एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी. 39.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली नवीन सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत तकनीकी शिक्षा विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
39.11	उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन.	परीक्षा नियंत्रक	15 कार्य दिवस	कुल सचिव	10 कार्य दिवस	कुलपति
39.12	काशनमनी की वापसी	परीक्षा नियंत्रक	15 कार्य दिवस	कुल सचिव	10 कार्य दिवस	कुलपति
39.13	स्थानांतरण प्रमाण पत्र	परीक्षा नियंत्रक	15 कार्य दिवस	कुल सचिव	10 कार्य दिवस	कुलपति
39.14	चरित्र प्रमाण पत्र	परीक्षा नियंत्रक	15 कार्य दिवस	कुल सचिव	10 कार्य दिवस	कुलपति
39.15	दस्तावेजों का सत्यापन	परीक्षा नियंत्रक	03 कार्य दिवस	कुल सचिव	10 कार्य दिवस	कुलपति
39.16	संस्थान स्तर पर ब्रांच (शाखा) में बदलाव के लिए छात्रों के आवेदन पर निर्णय.	परीक्षा नियंत्रक	15 कार्य दिवस	कुल सचिव	10 कार्य दिवस	कुलपति

क्र. एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी. 44.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा वाणिज्य कर विभाग के अंतर्गत कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक की दिनांक 10 अक्टूबर 2017 को जारी अधिसूचना क्र. एफ-2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र.पी.एस.जी.-43 में संशोधन करते हुए कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत वाणिज्य कर विभाग के अंतर्गत कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
44.1	दस्तावेजों का पंजीयन	संबंधित उप पंजीयक/ वरिष्ठ उप पंजीयक.	24 घंटे (विधिक एवं तकनीकी अहर्ताओं की पूर्ति होने पर).	संबंधित जिला पंजीयक/वरिष्ठ जिला पंजीयक.	30 दिन	संबंधित उप महानिरीक्षक पंजीयन.
44.2	दस्तावेज की नकल प्रदाय करना (ई-पंजीकृत दस्तावेज).	www.mpigr.gov.in वेब पोर्टल के माध्यम से तथा संबंधित उप पंजीयक/वरिष्ठ उप पंजीयक.	तत्काल आवेदन प्रस्तुतीकरण दिनांक पर ही (विधिक एवं तकनीकी अहर्ताओं की पूर्ति होने पर).	संबंधित जिला पंजीयक/वरिष्ठ जिला पंजीयक.	07 दिन	संबंधित उप महानिरीक्षक पंजीयन.
44.3	दस्तावेज की नकल प्रदाय करना (भौतिक रूपेण पंजीकृत दस्तावेज).	संबंधित उप पंजीयक/ वरिष्ठ उप पंजीयक.	7 दिन (विधिक अहर्ताओं की पूर्ति होने पर).	संबंधित जिला पंजीयक/वरिष्ठ जिला पंजीयक.	30 दिन	संबंधित उप महानिरीक्षक पंजीयन.

क्र. एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी. 05.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नगरीय विकास विभाग के अंतर्गत नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत नगरीय विकास विभाग के अंतर्गत नगर तथा ग्राम निवेश विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.12	म. प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 29 के अंतर्गत अभिन्यास अनुमोदन.	जिले में पदस्थ संयुक्त संचालक/उपसंचालक/ सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश.	60 कार्य दिवस	आयुक्त राजस्व विभाग.	30 कार्य दिवस	प्रमुख सचिव म. प्र. शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.13	भूखण्डों का विलयन तथा विभाजन का अभिन्यास अनुमोदन.	जिले में पदस्थ संचालक/उपसंचालक/सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश.	30 कार्य दिवस	अपर संचालक नगर तथा ग्राम निवेश.	30 कार्य दिवस	आयुक्त-सह-संचालक नगर तथा ग्राम निवेश.
5.14	म. प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 29(3) में संशोधन का अभिन्यास अनुमोदन.	जिले में पदस्थ संचालक/उपसंचालक/सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश.	90 कार्य दिवस	अपर संचालक नगर तथा ग्राम निवेश.	30 कार्य दिवस	आयुक्त-सह-संचालक नगर तथा ग्राम निवेश.
5.15	विकास अनुज्ञा के सीमा का विस्तार.	जिले में पदस्थ संचालक/उपसंचालक/सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश.	30 कार्य दिवस	अपर संचालक नगर तथा ग्राम निवेश.	15 कार्य दिवस	आयुक्त-सह-संचालक नगर तथा ग्राम निवेश.
	निवेश क्षेत्र के बाहर स्थित क्षेत्रों में व्यपवर्तन प्रकरणों में अनापत्ति.	जिले में पदस्थ संचालक/उपसंचालक/सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश.	अनुविभागीय अधिकारी से निर्धारित दस्तावेजों के साथ पत्र प्राप्त होने के दिनांक से 30 कार्य दिवस.	अपर संचालक नगर तथा ग्राम निवेश.	15 कार्य दिवस	आयुक्त-सह-संचालक नगर तथा ग्राम निवेश.

क्र. एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी. 11.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा गृह विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली नवीन सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत गृह विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11.7	मेला/प्रदर्शनी/खेल कार्यक्रम के लिये एनओसी.	जिला स्तर-पुलिस अधीक्षक अनुभागीय स्तर पर— पुलिस अनुभागीय अधिकारी.	07 कार्य दिवस 07 कार्य दिवस	उप-पुलिस महानिरीक्षक. उप-पुलिस महानिरीक्षक.	15 कार्य दिवस 15 कार्य दिवस	जोनल पुलिस महानिरीक्षक. जोनल पुलिस महानिरीक्षक.
11.8	सिनेमा की स्थापना के लिये एनओसी.	पुलिस अधीक्षक	15 कार्य दिवस	उप-पुलिस महानिरीक्षक.	15 कार्य दिवस	जोनल पुलिस महानिरीक्षक.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11.9	डुप्लीकेट लाइसेंस प्रदान करना (पुलिस द्वारा अनापत्ति प्राप्त होने के पश्चात्).	जिला दंडाधिकारी	07 कार्य दिवस	आयुक्त	15 कार्य दिवस	सचिव गृह
11.10	स्वीकृत शस्त्र लाइसेंस में शस्त्र (प्रथम शस्त्र जो पुनर्विक्रय का न हो) दर्ज किये जाने बावत् आवेदन पत्र.	जिला दंडाधिकारी	07 कार्य दिवस	आयुक्त	15 कार्य दिवस	सचिव गृह
11.11	ध्वनी विस्तारक यंत्र को धीमी गति से उपयोग किये जाने की अनुमति बावत्.	अनुभागीय अधिकारी.	07 कार्य दिवस	जिला दंडाधिकारी	15 कार्य दिवस	आयुक्त
11.12	अस्थायी यात्रा लायसेंस प्रदान किये जाने बावत् आवेदन पत्र (पुलिस द्वारा अनापत्ति प्राप्त होने के पश्चात्).	जिला दंडाधिकारी	07 कार्य दिवस	आयुक्त	15 कार्य दिवस	सचिव गृह
11.13	मोबाइल सामग्री गुम होने की सूचना की पावती.	थाना प्रभारी	05 कार्य दिवस	एसडीओपी/सीएसपी	07 कार्य दिवस	पुलिस अधीक्षक.
11.14	चरित्र सत्यापन (यदि व्यक्ति विगत 3 वर्ष में आवेदन देने वाले जिले में एक ही स्थान में निवासरत रहा हो).	थाना प्रभारी	30 कार्य दिवस	एसडीओपी/सीएसपी	15 कार्य दिवस	पुलिस अधीक्षक.
11.15	किरायेदार/नौकर का सत्यापन (यदि व्यक्ति विगत 3 वर्ष में आवेदन देने वाले जिले में एक ही स्थान में निवासरत रहा हो).	थाना प्रभारी	30 कार्य दिवस	एसडीओपी/सीएसपी	15 कार्य दिवस	पुलिस अधीक्षक.
11.16	हथियार के सेवक की नियुक्ति (पुलिस द्वारा अनापत्ति प्राप्त होने के बाद).	जिला दंडाधिकारी	07 कार्य दिवस	आयुक्त	15 कार्य दिवस	सचिव गृह
11.17	शस्त्र लाइसेंस में सेवक का नाम जोड़ना/हटाना (पुलिस द्वारा अनापत्ति प्राप्त होने के बाद).	जिला दंडाधिकारी	07 कार्य दिवस	आयुक्त	15 कार्य दिवस	सचिव गृह

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11.18	मृत्यु के बाद, हथियारों की बिक्री/स्थानांतरण की अनुमति (पुलिस का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद) जिला दंडाधिकारी के अधिकार क्षेत्र अंतर्गत.	जिला दंडाधिकारी	07 कार्य दिवस	आयुक्त	15 कार्य दिवस	सचिव गृह
11.19	मृत्यु के उपरांत हथियार का समर्पण.	जिला दंडाधिकारी	07 कार्य दिवस	आयुक्त	15 कार्य दिवस	सचिव गृह

क्र. एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी. 36.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत कार्यालय रजिस्ट्रार, फार्म एवं संस्थाएं द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा के तहत वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत कार्यालय रजिस्ट्रार, फार्म एवं संस्थाएं की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
36.4	भारतीय भागीदारी अधिकारी, 1932 के अधीन फर्म नाम से और कारबार के मुख्य स्थान में हुए परिवर्तनों का अभिलेख धारा (60).	असिस्टेंट रजिस्ट्रार, फर्म एवं संस्थाएं, भोपाल (भोपाल एवं नर्मदापुरम राजस्व संभाग) इन्दौर (इंदौर राजस्व संभाग) ग्वालियर (ग्वालियर एवं चंबल संभाग) जबलपुर (जबलपुर राजस्व संभाग) रीवा (रीवा एवं शहडोल राजस्व संभाग) सागर (सागर राजस्व संभाग) उज्जैन (राजस्व संभाग).	30 कार्य दिवस	डिप्टी रजिस्ट्रार	30 कार्य दिवस	रजिस्ट्रार, फर्म एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश.
36.5	भारतीय भागीदारी अधिकारी, 1932 के अधीन शाखाओं को बंद करने और खोलने का टिप्पणित किया जाना धारा (61).	असिस्टेंट रजिस्ट्रार, फर्म एवं संस्थाएं, भोपाल (भोपाल एवं नर्मदापुरम राजस्व संभाग) इन्दौर (इंदौर	30 कार्य दिवस	डिप्टी रजिस्ट्रार	30 कार्य दिवस	रजिस्ट्रार, फर्म एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		राजस्व संभाग) ग्वालियर (ग्वालियर एवं चंबल संभाग) जबलपुर (जबलपुर राजस्व संभाग) रीवा (रीवा एवं शहडोल राजस्व संभाग) सागर (सागर राजस्व संभाग) उज्जैन (राजस्व संभाग).				
36.6	भारतीय भागीदारी अधिकारी, 1932 के अधीन भागीदारों के नामों और पतों में तब्दीलियों का टिप्पणित किया जाना धारा (62).	असिस्टेंट रजिस्ट्रार, फर्म एवं संस्थाएं, भोपाल (भोपाल एवं नर्मदापुरम राजस्व संभाग) इन्दौर (इन्दौर राजस्व संभाग) ग्वालियर (ग्वालियर एवं चंबल संभाग) जबलपुर (जबलपुर राजस्व संभाग) रीवा (रीवा एवं शहडोल राजस्व संभाग) सागर (सागर राजस्व संभाग) उज्जैन (राजस्व संभाग).	30 कार्य दिवस	डिप्टी रजिस्ट्रार	30 कार्य दिवस	रजिस्ट्रार, फर्म एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश.
36.7	भारतीय भागीदारी अधिकारी, 1932 के अधीन फर्म तब्दीलियों और उसके विघटन का अभिलेख धारा (63).	असिस्टेंट रजिस्ट्रार, फर्म एवं संस्थाएं, भोपाल (भोपाल एवं नर्मदापुरम राजस्व संभाग) इन्दौर (इन्दौर राजस्व संभाग) ग्वालियर (ग्वालियर एवं चंबल संभाग) जबलपुर (जबलपुर राजस्व संभाग) रीवा (रीवा एवं शहडोल राजस्व संभाग) सागर (सागर राजस्व संभाग) उज्जैन (राजस्व संभाग).	30 कार्य दिवस	डिप्टी रजिस्ट्रार	30 कार्य दिवस	रजिस्ट्रार, फर्म एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
36.8	भारतीय भागीदारी अधिकारी, 1932 के अधीन भुलों का परिशोधन धारा (64).	असिस्टेंट रजिस्ट्रार, फर्म एवं संस्थाएं, भोपाल (भोपाल एवं नर्मदापुरम राजस्व संभाग) इन्दौर (इंदौर राजस्व संभाग) ग्वालियर (ग्वालियर एवं चंबल संभाग) जबलपुर (जबलपुर राजस्व संभाग) रीवा (रीवा एवं शहडोल राजस्व संभाग) सागर (सागर राजस्व संभाग) उज्जैन (राजस्व संभाग).	30 कार्य दिवस	डिप्टी रजिस्ट्रार	30 कार्य दिवस	रजिस्ट्रार, फर्म एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश.
36.9	भारतीय भागीदारी अधिकारी, 1932 के अधीन प्रतियों का दिया जाना धारा (66).	असिस्टेंट रजिस्ट्रार, फर्म एवं संस्थाएं, भोपाल (भोपाल एवं नर्मदापुरम राजस्व संभाग) इन्दौर (इंदौर राजस्व संभाग) ग्वालियर (ग्वालियर एवं चंबल संभाग) जबलपुर (जबलपुर राजस्व संभाग) रीवा (रीवा एवं शहडोल राजस्व संभाग) सागर (सागर राजस्व संभाग) उज्जैन (राजस्व संभाग).	30 कार्य दिवस	डिप्टी रजिस्ट्रार	30 कार्य दिवस	रजिस्ट्रार, फर्म एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश.
36.10	भारतीय भागीदारी अधिकारी, 1932 के अधीन प्रतियों का दिया जाना धारा (66).	असिस्टेंट रजिस्ट्रार, फर्म एवं संस्थाएं, भोपाल (भोपाल एवं नर्मदापुरम राजस्व संभाग) इन्दौर (इंदौर राजस्व संभाग) ग्वालियर (ग्वालियर एवं चंबल संभाग) जबलपुर (जबलपुर राजस्व संभाग) रीवा (रीवा एवं शहडोल राजस्व संभाग) सागर (सागर राजस्व संभाग) उज्जैन (राजस्व संभाग).	30 कार्य दिवस	डिप्टी रजिस्ट्रार	30 कार्य दिवस	रजिस्ट्रार, फर्म एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिरंजन राव, सचिव.